>

Title: Need to review the laws being implemented by the Ministry of Environment and Forests which impede the development of the tribal areas in the country.

**श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच):** सभापति महोदय, आदिवासी जनजाति के भूमि अधिकार को अन्य अनेक प्रावधानों की सहायता से एवं कई षडयंत्र रच कर वंचित किया जा रहा है। वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून बना, जिससे आदिवासियों का वन भूमि पर रहने एवं विकास कार्य करने का अधिकार मिला हुआ है। परन्तु राष्ट्रीय अभ्यारणय और फारेस्ट एक्ट के कारण इस कानून का पालन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर ईमानदारी से इस कानून का पालन किया जाए तो जनजातियों की आधी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। जनजातियों की सामूहिक हकदारी, जमीन के पट्टों पर कब्जा, पशु रखने एवं चराने जैसे जीवन यापनजैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय आज जनजाति मंत्रालय पर भारी पड़ रहा है। आदिवासी समाज वन एवं पर्यावरण के कानूनों को काला कानून कहकर संबोधित करता है। गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र में नर्मदा जिले के अभ्यारण्य क्षेत्र और रिजर्व फोरेस्ट एक्ट के अंतर्गत कंजाल, फूलसर, गढ़, बेबार, गढ़ीजंतर, बाघउमर, कणजीवांदरी, जुनाराज, कमोदिया, झरवाणी, आंबागांव, सुकवाल जैसे 50 से 60 गांव समाविष्ट हैं। यहां पक्की सड़कें, पुल, नाले, बिजली, सिंचाई, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र के आदिवासी लोग आज भी आदि मानव जैसा जीवन जी रहे हैं।

मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वन एवं पर्यावरण कानून, जो जनजातियों के विकास में बाधक है, उनकी समीक्षा की जाए और समाज के अन्य वर्गों की तरह आदिवासियों का संपूर्ण विकास किया जाए।

**श्री प्रभातसिंह पी. चौहान (पंचमहल):** महोदय, मैं अपने आपको इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।